



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार—249404

संख्या: 261 / 01 / डी०आर०(डिग्री) / सेवा—2 / 2021—22

दिनांक : 30 नवम्बर, 2023

अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण सूची

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन—2021 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर हिन्दी (HINDI) विषयान्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 06 जुलाई, 2023 के क्रम में अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूची के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 21 जुलाई, 2023 तक समय प्रदान किया गया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का परीक्षण करते हुए मा० आयोग द्वारा प्रत्यावेदनों का अन्तिम रूप से निस्तारण निम्नवत् किया गया है:—

क्र०	अनुक्रमांक	कार्यालय टीप
(1)	(2)	(3)
1.	500112	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा० आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
2.	500116	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा० आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
3.	500150	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा० आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
4.	500162	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा० आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
5.	500179	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा० आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
6.	500204	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा० आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये

17.	500779	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
18.	500805	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
19.	500838	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
20.	500889	<ol style="list-style-type: none"> 1. अनर्हता सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 में अभ्यर्थी को ओ0बी0सी0 श्रेणी की कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण एवं दिव्यांगजन हेतु शुद्धिपत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 के बिन्दु संख्या—3 एवं 4 के क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अनर्ह किया गया था। 2. अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 में अनर्हता के सापेक्ष कोई वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। 3. तदक्रम में अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची के सापेक्ष केवल पूर्व में किये गये ऑनलाइन आवेदन की प्रति (17.12.2021) तथा दिव्यांगजन श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। 4. शुद्धिपत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 के बिन्दु संख्या—3 एवं 4 के क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण तथा अभ्यर्थी को केवल ओ0बी0सी0 श्रेणी के अन्तर्गत API स्कोर 44 के क्रम में अ0पि0व0 श्रेणी की कटऑफ स्कोर 52 में स्थान धारित न करने के कारण मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
21.	500946	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 06 जुलाई, 2023 को प्रकाशित अनर्ह सूची में अभ्यर्थी से वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मान्य तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 की आय की गणना के आधार पर जारी EWS श्रेणी से आच्छादित होने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/आख्या उपलब्ध करायी जानी थी। 2. जिसके क्रम में अभ्यर्थी द्वारा 02 EWS प्रमाण—पत्र दिनांक 26.12.2020 जो पूर्व में प्रस्तुत किया गया था तथा दिनांक 30.04.2022 का प्रमाण पत्र विज्ञापन की अन्तिम तिथि के पश्चात का है एवं तहसीलदार अल्मोड़ा की आख्या दिनांक 13.07.2023 में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मान्य तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 की आय की गणना का उल्लेख नहीं किया गया है। 3. अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
22.	501257	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 06 जुलाई, 2023 को प्रकाशित अनर्ह सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन के साथ उत्तराखण्ड सरकार की सेवाओं हेतु जारी दिनांक 30.09.2016 एवं 25.04.2022 के 02 ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गए हैं, जो पूर्व में प्रेषित किये गये थे पुनः प्रस्तुत किये गये हैं। तथा प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.2016 के पुनः सत्यापन के समय कोरोना के कारणवश वह सत्यापित नहीं हो पाया। 2. अनर्हता सूची के सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने

		<p>सापेक्ष प्रत्यावेदन के साथ पूर्व में प्रेषित अनुभव प्रमाण पत्र एवं अवार्ड की प्रति उपलब्ध करायी गयी थी, जिसका परीक्षण विषय-विशेषज्ञों पूर्व में कर लिया गया था।</p> <p>5. अनर्हता सूची के सापेक्ष कट-ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण मात्र आयोग पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत् रखते हुए अन्तिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
32.	501809	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत् रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
33.	501829	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी दिनांक 03.03.2021 का ओबीसी० प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। 2. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञाप्ति दिनांक 06 जुलाई, 2023 को प्रकाशित अनर्हता सूची के सापेक्ष उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2023 का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो विज्ञापन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का है। जबकि अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु ओबीसी० श्रेणी से आच्छादित होने का प्रमाण पत्र/आख्या, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त उपलब्ध नहीं करायी गयी है। 3. अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत् रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
34.	501899	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत् रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
35.	501944	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी दिनांक 29.08.2019 का ओबीसी० प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया था। 2. अनर्हता सूची 06 जुलाई, 2023 के सापेक्ष अभ्यर्थी उत्तराखण्ड सरकार का उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र दिनांक 14 जनवरी, 2022 प्रस्तुत किया गया है। तथा विज्ञापन के बिन्दु संख्या 7(2) उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप में दिनांक 14.07.2023 को निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये है। जबकि अभ्यर्थी से अनर्ह सूची 06 जुलाई, 2023 के द्वारा विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु ओबीसी० श्रेणी से आच्छादित होने का प्रमाण पत्र/आख्या, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त उपलब्ध नहीं करायी गयी है। 3. अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत् रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
36.	501977	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत् रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
37.	502152	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत् रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।

38.	502205	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
39.	502211	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
40.	502256	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
41.	502299	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
42.	502350	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
43.	502359	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 06 जुलाई, 2023 को प्रकाशित अनर्हता सूची में रिसर्च पब्लिकेशन के लिए किये गये 06 अंकों के दावे में से 01 अंक के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 47 के स्थान पर 46 होना के कारण अनुजाति श्रेणी/अनुजाति—उत्तराखण्ड महिला श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 47 स्थान धारित नहीं करता था। 2. जिसके क्रम में अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन के पॉच रिसर्च पेपर (आलोचना, प्रिटिंगएरिया, तत्व सिन्धु, उन्मीलन एवं शोधसंहिता) की प्रति संलग्न की गयी है। जिसमें से आलोचना, प्रिटिंगएरिया एवं शोधसंहिता) को पूर्व में विषय-विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कर लिया गया है तथा तत्व सिन्धु (फरवरी, 2022) उन्मीलन (जनवरी—जून 2022) जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात के हैं जिसके क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित रिसर्च पेपर को सही नहीं माना जा सकता है। 3. अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
44.	502381	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
45.	520450	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन श्रेणी के अन्तर्गत विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र एवं यूजी0सी0 नेट उपाधि संलग्न न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया था। 2. अनर्हता सूची दिनांक 06.07.2023 के सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा यूजी0सी0 नेट दिनांक 19.03.2022 की उपाधि प्रस्तुत की गयी है। 3. अभ्यर्थी द्वारा ए0पी0आई0 स्कोर के अन्तर्गत संबंधित विषय में केवल नेट का

		<p>दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष दिनांक 19.02.2022 को जारी यू०जी०सी० नेट परिणाम की छायाप्रति संलग्न की गयी है जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के बाद निर्गत की गयी है।</p> <p>4. विज्ञापन के शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत नेट की उपाधि विज्ञापन के अन्तिम तिथि के बाद की होने के कारण अन्तिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
46.	520451	<p>1. विज्ञापन के परिशिष्ट-7 के बिन्दु सं० 4 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।</p> <p>2. अनर्हता सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 में दिव्यांगजन श्रेणी के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया था।</p> <p>3. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवदेन में दिव्यांगता की OA श्रेणी का दावा किया गया है एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के साथ दिव्यांगता की OAL श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>4. अभ्यर्थी द्वारा ओ०ए० श्रेणी हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अन्तिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
47.	520452	<p>1. अनर्हता सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 में दिव्यांगजन श्रेणी के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, Ph.D के लिए परिशिष्ट 3 या 4 के अनुसार प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया था।</p> <p>2. तदक्रम में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवदेन में दिव्यांगता की OA श्रेणी का दावा किया गया है, परन्तु इसके सापेक्ष दिव्यांगता की OL श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>3. जिसके क्रम में ओ०ए० श्रेणी हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अन्तिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
48.	520453	<p>1. अनर्हता सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 में विज्ञापन के परिशिष्ट-7 के बिन्दु सं० 4 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया था।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवदेन में दिव्यांगता की OA श्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि उनकी दिव्यांगता की श्रेणी OL है।</p> <p>3. दिव्यांगता की OA श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अन्तिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
49.	520454	<p>1. अनर्हता सूची दिनांक 06 जुलाई, 2023 में विज्ञापन के परिशिष्ट-7 के बिन्दु सं० 4 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया था।</p> <p>2. विज्ञापन के परिशिष्ट-7 के बिन्दु सं० 4 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र एवं ओ०ए० श्रेणी हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।</p> <p>3. तदक्रम में अभ्यर्थी द्वारा ओ०ए० श्रेणी हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अन्तिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।